

प्रेषक

डॉ० रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 16 अक्टूबर, 2019

विषय:- प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में कार्यरत जूनियर एवं सीनियर रेजीडेंट चिकित्सकों के वेतनमान में अभिवृद्धि/संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-422/71-3-2009-95/2008, दिनांक 02.03.2009 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विषय में सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय, प्रदेश के राजकीय मेडिकल एवं डेंटल कालेजों तथा उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों में लागू रेजीडेंसी योजना के अन्तर्गत कार्यरत जूनियर एवं सीनियर रेजीडेंट चिकित्सकों के लिये सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में निम्न तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित, दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पूर्व के वेतनमानों के सादृश्य वेतन बैंड एवं ग्रेड पे के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2016 से तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित उच्चकृत/पुनरीक्षित वेतनमान (मैट्रिक्स लेवल में) अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान		प्रस्तावित वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में)
		वेतन बैंड (रु०)	ग्रेड वेतन (रु०)	
1	2	3	4	5
1.	जूनियर रेजीडेंट्स प्रथम वर्ष (स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा)	रु० 15600-39100	5400/-	लेवल-10, रु० 56100-177500
2.	जूनियर रेजीडेंट्स द्वितीय वर्ष (स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा)	रु० 15600-39100	5400/-	लेवल-10, रु० 56100-177500
3.	जूनियर रेजीडेंट्स तृतीय वर्ष (स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा)	रु० 15600-39100	5400/-	लेवल-10, रु० 56100-177500
4.	सीनियर रेजीडेंट्स प्रथम वर्ष (स्नातकोत्तर डिग्री धारक)	रु० 15600-39100	6600/-	लेवल-11, रु० 67700-208700
5.	सीनियर रेजीडेंट्स द्वितीय वर्ष (स्नातकोत्तर डिग्री धारक)	रु० 15600-39100	6600/-	लेवल-11, रु० 67700-208700
6.	सीनियर रेजीडेंट्स तृतीय वर्ष (स्नातकोत्तर डिग्री धारक)	रु० 15600-39100	6600/-	लेवल-11, रु० 67700-208700

2- उक्त तालिका में जिन पदों के वेतनमान उच्चकृत किए गए हैं, उन पदों पर कार्यरत पदधारकों का वेतन निर्धारण मूल नियम-22 के उप नियम (क) के खण्ड (2)(ग) के अन्तर्गत किया जायेगा।

3- चिकित्सालय परिसर में आवासीय सुविधा उपलब्ध होने के दृष्टिगत जूनियर/सीनियर रेजीडेंट को आवास किराया भत्ता (एच०आर०ए०) अनुमन्य नहीं होगा।

4- जूनियर/सीनियर रेजीडेंट को अन्य अनुमन्य भत्ते राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर देय होंगे।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1334/दस-2019, दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(डॉ० रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या:- 85/2019/2625(1)/71-1-2019 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. समस्त प्रधानाचार्य/वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश।
3. कोषाधिकारी, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी, गोरखपुर, जालौन, कन्नौज, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, बौदा तथा बदायूँ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-3, वित्त (वेतन आयोग), अनुभाग-1/2
5. निदेशक, अधिष्ठान, पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस० पी० सिंह)
अनु सचिव